

HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
Notification

The 27<sup>th</sup> July, 2017

**No. 60/X-I/P.A.1/1914/Ss.3 and 12/2017.**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 3 read with section 12 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. S.O. 112/P.A.1/1914/Ss.3and 12/ 2014, dated the 10<sup>th</sup> November, 2014, the Governor of Haryana hereby appoints Ms. Ashima Brar, IAS, Special Excise and Taxation Commissioner as Collector to discharge the functions of Collector throughout the State of Haryana.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2017

संख्या 60/आ0-1/प0अ01/1914/धा0 3 तथा 13/2017.—पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 12 के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 112/प0अ01/1914/धा0 3 तथा 12/2014, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्रीमती आशिमा बराड़, आई0ए0एस0, विशेष आबकारी तथा कराधान आयुक्त को सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में कलक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कलक्टर के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।